

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड (II) में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/13/2011-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 14 मई, 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय एवं आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार श्री चोल्टेटी प्रभाकर, भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:2000) की ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग से आंध्र प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।


(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)